रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2396] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2017/श्रावण 31, 1939
No. 2396] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2017/SRAVANA 31, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

का.आ. 2735(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1823 (अ), तारीख 26 मई, 2016 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां 26 मई, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया;

और, कुशेशवर अस्थान पक्षी अभयारण्य, बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है और 29.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, कुशेशवर अस्थान पक्षी अभयारण्य जो ताजे जल की झील है और उसके आसपास का क्षेत्र असीम पारिस्थितिक, जीवजंतु, वनस्पति, भू-आकृति वैज्ञानिक, धार्मिक और प्राकृतिक के लिए महत्त्वपूर्ण है और असंख्य जलीय वनस्पति और जीवजंतु भी है;

और, कुशेश्वर अस्थान पक्षी अभयारण्य में जल पौधों की कई प्रजातियों, मछली की प्रचुर प्रजातियों, स्थानीय पक्षियों की कम से कम 40 प्रजातियों के साथ प्रवासी पक्षियों की 15 दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के लिए नेपाल, तिब्बत, भूटान अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया एवं साइबेरिया और अन्य देश निवास स्थान है जो सर्द ऋतु में और सरीसृप

क्षेत्र के समूह है और अभयारण्य में भगवान शिव का मंदिर महाकाव्य समय के लिए दुबारा खोजा गया और इसका विशाल धार्मिक महत्व है;

और, इस क्षेत्र में उपस्थिति अंकन की कुछ महत्वपूर्ण पक्षियों की प्रजातियों में दलमटैन पेलीकन (*पेलीकनस क्रूरीसुपस्*), भारतीय डरटर (*अनलिंगा रूफा*), बार हेडिड कलहंस, वाइट विंगड वुड बत्तख (*कैरीवा सकुटुलाटा*), मार्बलड टोल (*मरमरोनेट्टा अनक्यूस्टीरोस्ट्रीस*), बेइरस पॉर्चड (*अयथ्या बेरी*), साइबेरियन करेन (*ग्रुस लियोग्रेनस*), भारतीय स्कीम्मर (*रयनचोपस अलीबीकोलस*), ओरिंयटल क्युसैंडर (*मेरक्यूस गुसैंडर*), विसलिंग टील, कौडिल्ला, बैंगनी मूर–मुर्गी आदि हैं; सामान्य स्थलीय वन्यजीव में लघुपूच्छ वानर, बनैला सूअर, सियार, नीलगाय आदि हैं और सरीसृपों में कछुआ में जैसे कि हरही एवं अहुआ और जल सांपों में चेरना, मचलीदीही, बसमहा और दरराह सम्मिलित हैं; जबकि महत्वपूर्ण मछली प्रजातियां हैं रीहु, कटला, सिंगि, गराई, बामी, इक्का, इत्यादि;

और, अभयारण्य की महत्वपूर्ण पौधे प्रजातियां बेल (*एजेले मर्मेलोस*), सिरीस (*अल्बिज़िया चिनेसिस*), नीम (*अज़ाडिराचल इंडिका*), सेमल (*बम्बॉक्स सीईबा*), बरगद (*फिकस बेंगलेंसिस*), पीपल (*फिकस रेलिगिओसा*), आम (*मंगिफेरा इंडिका*), खजूर (*फीनिक्स डैक्टिलिफेरा*), जामुन (*सायजियम क्युमिनि*) और अर्जुन टर्मिनलिया अर्जुन, आदि; और कुछ महत्वपूर्ण जलीय पौधे प्रजातियां जलकुम्मी, नरकट, जंगली चावल, ब्लू वाटर लिली, हाइड्रेला, मस्कग्रास आदि हैं।

और, अभयारण्य कमला बलन, पुरानी कमला, कोसी, भूतही एवं जीवच्च बाढ़ जल फैलाने वाली नदियों से बाढ़ और कृषि भूमि के निकट जल जमाव को रोकने के लिए जल प्राप्त करती है और अत: यह जलाशय के रूप में और भू-जल रिचार्ज की प्रक्रिया में भी कार्य करता है;

और, कुशेशवर अस्थान पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य में कुशेशवर अस्थान पक्षी अभयारण्य की सीमा से 0.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को कुशेशवर अस्थान पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन कुशेशवर अस्थान पक्षी अभयारण्य 0.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के विस्तार तक 32.93 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(2) कुशेशवर अस्थान पक्षी की सीमा का वर्णन और पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांकों के साथ अभयारण्य के निर्देशांक **उपाबंध II-क** और **उपाबंध II-ख** के रुप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन बिहार के दरभंगा जिले में 36 ग्रामों तक फैला हुआ है । पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांक के साथ **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) नगर विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिका ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) पशु और मत्स्य संसाधन;
(ix) जल संसाधन (सिंचाई);
(x) लोक निर्माण (सड़क निर्माण); और
(xi) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए पार्कों और मनोरंजनात्मक प्रयोजनों के लिए अभिनिश्चित खुले स्थानों को वाणिज्यिक या आवासीय परिसर या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा या उनके निए क्षेत्रों में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा।

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञात किया जा सकेगा और यथा लागू केन्द्रीय सरकार के अन्य नियम जैसे विनियम तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय आवश्यकताओं को और ऐसी क्रियाकलापों के पूरा किया जा सकेगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप पैरा 4 में दिया गया है:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक और उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन–** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यावरण और वन के राज्य विभागों के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) कुशेशवर अस्थान पक्षी अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों अनुज्ञात नहीं

होंगे। तथापि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक एक किलोमीटर से परे नए होटलों तथा रिसोर्टों की स्थापना के लिए पूर्व अभ्यांकित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ही अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपाल्य किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा;

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध निम्नलिखित के अनुसार होगा-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई साधारण उपचार सुविधा या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन.**- परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और ऐसे समय तक जब तक आंचलिक महायोजना के तैयार होती है और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(12) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(15) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर- केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि अन्यथा इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणियाँ**
(1)	(2)	(3)
		प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की देशी आवश्यकताओं के सिवाय प्रतिषिद्ध नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए और मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के खनन आदेश के अनुसरण का प्रचालन होगा ।
2.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। (ख) हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगें ।
4.	नई बृहत ताप और जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगें ।
5.	यांत्रिक साधनों द्वारा मछली पकडना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगें ।
6.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए जब तक 1 से 10 मीटर के पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगें ।
8.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगें ।

9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	फर्मों, कंपनियों, आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
11.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक ही जो भी निकट हो कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं । परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (ख) इसके अतिरिक्त, एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण और अन्य संनिर्माण क्रियाकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।
13.	नए सकरी-बिरौल कुशेश्वर अस्थान - हसनपुर रेलवे लाइन का संनिर्माण और संचालन ।	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 के 53) और भूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2010 के अधीन अनुमतियों पर आकस्मिक होना चाहिए और इसके तहत लगाए गए मुक्ति, प्रतिपूरक और विनियामक उपायों के अधीन होगा। परंतु, पारिस्थितिक-संवेदी जोन सीमा के बाहर रेलवे स्टेशन का संनिर्माण किया जाएगा।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात होंगे ।
15.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों हेतु पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे तम्बु, लकड़ी के आवास।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

16.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	प्लास्टिक बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	प्राकृतिक जल निकायों में बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्ट का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा ।
24.	रोपवे का संनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
26.	सुरक्षा कैंप की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
28.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापना अपनी परिसंपत्तियों में काटेदार से बाड नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी। कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा) ।
29.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के ऊपर से उड़ना जैसे अन्य क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

32.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
33.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
34.	प्रवासी चरागाह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
35.	मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
36.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	निम्नीकृत भूमि/वन/ आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	जल संरक्षण उपाय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. **मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) प्रभागीय आयुक्त, दरभंगा प्रभाग - अध्यक्ष ;

(ii) राजस्व विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(iii) जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि -सदस्य ;

(iv) पशु और मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(v) कृषि विभाग, बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(vi) लोक निर्माण विभाग , बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि -सदस्य ;

(vii) बिहार संरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) गैर सरकारी संगठन का तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(viii) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र से बिहार सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(ix) क्षेत्रीय अधिकारी, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना - सदस्य ;

(x) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य ;

(xi) प्रभागीय वन अधिकारी, मिथिला वन प्रभाग -सदस्य-सचिव।

6.निर्देश निबंधन: (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/202/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

कुशेशवर अस्थान पक्षी अभयारण्य, बिहार के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

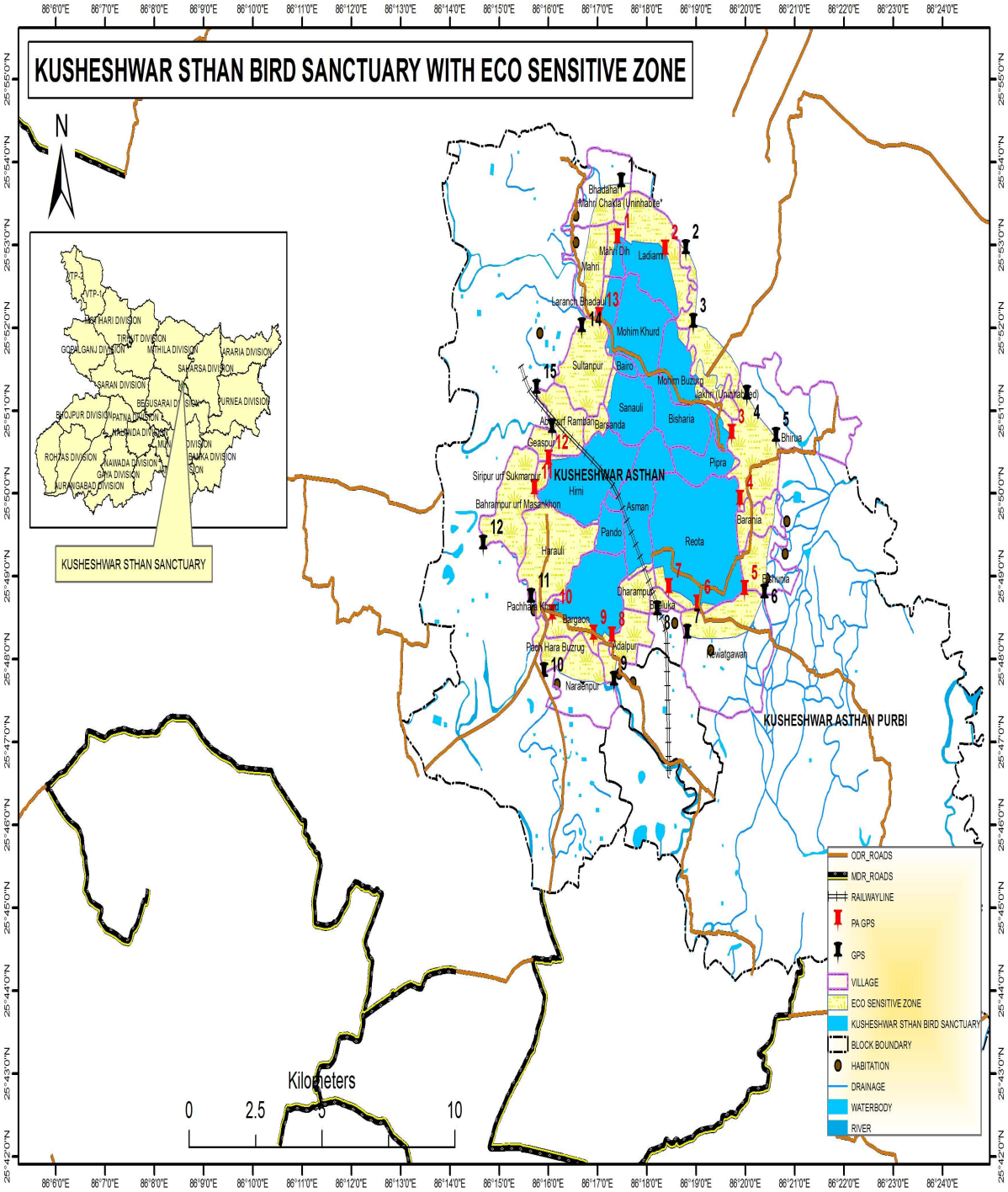

उपाबंध II-क

भू-निर्देशांक के साथ कुशेशवर अस्थान पक्षी अभयारण्य , दरभंगा की सीमा का वर्णन

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
1	86.2618936009362	25.8337720990339
2	86.2676924046286	25.8395709027263
3	86.2877651866409	25.8482691082649
4	86.2835275993272	25.8696800757447
5	86.2908876193983	25.8848461777095
6	86.3051615977181	25.8828388995083
7	86.3105143395881	25.8647733956972
8	86.3172052669255	25.8565212519811
9	86.3290259052216	25.8453697064187
10	86.3272416579316	25.8364484699688
11	86.3317022761566	25.8322108826551
12	86.3337095543578	25.8132532551991
13	86.319435576038	25.8103538533529
14	86.3051615977181	25.8183829661578
15	86.296909454002	25.8165987188678
16	86.2911106503096	25.8139223479328
17	86.2882112484633	25.8038859569267
18	86.2790669811022	25.8085696060629
19	86.2679154355398	25.8090156678854
20	86.2837506302384	25.8273042026077

उपाबंध II-ख

भू-निर्देशांक के साथ कुशेशवर अस्थान पक्षी अभयारण्य , दरभंगा के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

मानचित्र में आई.डी	अक्षांश	देशांतर
0	$25^0$53’44.562”उ	$86^0$17’28.750” पू
1	$25^0$52’55.872” उ	$86^0$18’47.131” पू
2	$25^0$52’2.724” उ	$86^0$18’56.243” पू
3	$25^0$51’10.774” उ	$86^0$20’1.649” पू
4	$25^0$50’40.317” उ	$86^0$20’37.178” पू
5	$25^0$48’46.838” उ	$86^0$20’22.909” पू

6	25⁰48’17.482” उ	86⁰18’49.147” पू
7	25⁰48’34.462” उ	86⁰18’12.366” पू
8	25⁰47’43.551” उ	86⁰17’19.739” पू
9	25⁰47’49.856” उ	86⁰15’54.447” पू
10	25⁰48’43.463” उ	86⁰15’38.910” पू
11	25⁰49’22.060” उ	86⁰14’40.587” पू
12	25⁰50’46.480” उ	86⁰16’4.467” पू
13	25⁰51’59.659” उ	86⁰16’40.474” पू
14	25⁰51’14.816” उ	86⁰15’45.405” पू

उपाबंध III

कुशेशवर अस्थान पक्षी अभयारण्य , दरभंगा के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम	अक्षांश	देशांतर	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	अबेर उर्फ रामबरी	25° 50' 52.413" उ	86° 16' 18.832" पू	161.54
2	अदलपुर	25° 48' 16.473" उ	86° 17' 40.786" पू	116.20
3	असमन	25° 49' 4.853" उ	86° 17' 53.272" पू	10.30
4	बहमपुर उर्फ मसलखोल	25° 49' 52.535" उ	86° 15' 17.214" पू	283.79
5	बाइरो	25° 51' 33.670" उ	86° 17' 20.746" पू	2.02
6	बारैना	25° 49' 41.050" उ	86° 20' 11.481" पू	99.50
7	बरगॉव	25° 48' 20.361" उ	86° 16' 32.633" पू	86.63
8	बरसानदा	25° 50' 50.142" उ	86° 16' 57.879" पू	42.87
9	भादहर	25° 53' 30.061" उ	86° 17' 12.542" पू	71.13
10	भालुका	25° 48' 41.458" उ	86° 18' 18.857" पू	39.83
11	भतवान	25° 47' 57.678" उ	86° 17' 11.830" पू	34.35
12	भीरूआ	25° 50' 28.781" उ	86° 20' 9.446" पू	300.81
13	बिसुनिया	25° 49' 10.497" उ	86° 20' 12.142" पू	105.77
14	धर्मपुर	25° 48' 49.263" उ	86° 17' 49.308" पू	85.81
15	गीसपुर	25° 50' 37.028" उ	86° 15' 52.627" पू	52.53
16	हरौली	25° 49' 17.818" उ	86° 16' 5.174" पू	380.97
17	हीरनी	25° 49' 37.556" उ	86° 16' 40.037" पू	9.54
18	जखरी(गैरआबादी)	25° 51' 15.981" उ	86° 19' 37.792" पू	11.29
19	केवतगवन	25° 48' 29.868" उ	86° 19' 33.085" पू	187.59
20	खेसराहा	25° 51' 16.883" उ	86° 19' 11.504" पू	60.75

21	लदाईमी	25° 53' 2.926" उ	86° 18' 13.882" पू	219.09
22	लरनच भादौल	25° 52' 21.955" उ	86° 17' 5.923" पू	15.50
23	महरी	25° 52' 42.158" उ	86° 16' 55.908" पू	130.40
24	महरी चकला(गैर- आबादी)	25° 53' 25.827" उ	86° 17' 28.874" पू	26.87
25	महरी दीह	25° 53' 0.938" उ	86° 17' 18.221" पू	41.56
26	मनौर	25° 51' 38.137" उ	86° 19' 19.953" पू	135.89
27	मोहीम खुर्द	25° 51' 43.387" उ	86° 17' 12.278" पू	1.58
28	नारैनपुर	25° 47' 57.540" उ	86° 16' 41.289" पू	106.61
29	पच हारा बजरंगा	25° 48' 8.893" उ	86° 16' 2.659" पू	78.89
30	पचहारा खुर्द	25° 48' 38.357" उ	86° 16' 3.063" पू	19.51
31	पनदो	25° 49' 26.521" उ	86° 16' 58.199" पू	1.52
32	पीपूरा	25° 50' 21.346" उ	86° 19' 47.183" पू	4.15
33	रियोटा	25° 48' 47.352" उ	86° 18' 38.075" पू	48.86
34	सनौली	25° 51' 16.527" उ	86° 17' 14.647" पू	15.24
35	सीरीपूर उर्फ सुकमरपुर	25° 50' 12.850" उ	86° 15' 51.692" पू	26.07
36	सुल्तानपुर	25° 51' 31.381" उ	86° 16' 46.900" पू	278.45
				3293.40

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है की तैयारी की प्रास्थिति ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरे उपाबंध के रुप में संलग्न ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

S.O. 2735(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1823 (E), dated the 26th May, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 26th May, 2016;

AND WHEREAS, all objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Kusheshwar Asthan Bird Sanctuary is situated in Darbhanga district of Bihar and is spread over an area of 29.21 square kilometers.

AND WHEREAS, the Kusheshwar Asthan Bird Sanctuary has a fresh water lake, and its adjoining area is of immense ecological, faunal, floral, geomorphological, religious and natural importance and has myriad aquatic flora and fauna;

AND WHEREAS, the Kusheshwar Asthan Bird Sanctuary is home to many species of water plants, abundant species of fish around forty species of local birds with fifteen rare and endangered species of migratory birds from Nepal, Tibet, Bhutan, Afghanistan, China, Pakistan, Mongolia Siberia and other countries, which flock to the area in the winter season, and the temple of Lord Shiva inside the Sanctuary is traced back to the epic period and is of immense religious importance;

AND WHEREAS, some important bird species marking presence in this area are Dalmatian Pelican (*Pelicanus erisups*), Indian Darter (*Anlinga rufa*), Bar-Headed Goose, White Winged Wood Duck (*Cairiva scutulata*), Marbled Teal (*Marmaronetta anqustirostris*), Baers Pochard (*Aythya baeri*), Siberian Crane (*Grus leuogranus*), Indian Skimmer (*Rynchops albicollis*), Oriental Qoosander (*Merqus goosander*), Whistling Teal, Kingfisher, Purple Moor-Hen, etc; Terrestrial wildlife commonly contain, Rhesus macaque, Wild Boar, Jackal, Nilgai, etc. and reptiles include tortoises such as Harhi and Ahua and water snakes Cherna, Machalidihi, Basmha and Darrar; whereas important fish species are Rehu, Katla, Singhi, Garai, Bami, Ichna, etc.

AND WHEREAS, important plant species of the Sanctuary are Bel (Aegle marmelos), Siris (Albizia chinensis), Neem (Azadirachta indica), Semal (Bombox ceiba), Bargad (Ficus benghalensis), Pipal (Ficus religiosa), Mango (Mangifera indica), Khajur (Phoenix dactylifera), Jamun (Syzygium cumini) and Arjun Terminalia arjuna, etc; and some important aquatic plant species are Jalkumbhi, Narkat, Wild Rice, Blue Water Lili, Hydrela, Muskgrass, etc.

AND WHEREAS, the Sanctuary receives water from flood spill of rivers Kamla Balan, Purani Kamla, Kosi, Bhutahi and Jeevachh thereby preventing flooding and water logging of nearby agricultural lands and therefore, it acts as a water reservoir and also recharges the ground water in the process;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of the Kusheshwar Asthan Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent varying from 0.5 kilomotre to 3 kilometres around the boundary of Kusheshwar Asthan Bird Sanctuary in the State of Bihar as the Kusheshwar Asthan Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of **32.93** square kilometres with an extent varying from 0.5 kilometre to 3 kilometres from the boundary of Kusheshwar Asthan Bird Sanctuary and the map of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure-I.**

(2) The boundary description of the Kusheshwar Asthan Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone along with the co-ordinates is appended as **Annexures II-A and II-B**.

(3) The Eco-sensitive Zone is spread over across 36 villages in the Darbhanga District of Bihar and the list of villages included in the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Animal and Fishery Resources;
(viii) Water Resources (Irrigation);
(x) Public Works (Road Construction); and
(ix) Bihar State Pollution Control Board;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities such as,-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in para graph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Kusheshwar Asthan Bird Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the said Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six monthly from the date of publication of this notification in the official Gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification in the official Gazetted and in corporate in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)

(9) **Solid wastes. -** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;
(ii) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of land fills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio-medical waste management shall be as under:-

(i) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(ii) no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(13) **Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(14) Construction and demolition waste management. - The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(15) E-waste. - The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(16) Industrial units.- (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. **Prohibited Regulated and Promoted activity.-**

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying, sand mining and crushing units.	(a) New (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	(a)No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b)Industries categorised as Green or White in the Central Pollution

		Control Board Classification including agro-based small scale industries shall be regulated as per applicable regulations.
3.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Fishing by mechanical means.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Protection of natural slopes and river banks.	No construction activity except for bona fide needs for local residents shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also up to 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Construction and operation of new Sakri –Biraul Kuseshwar Asthan-Hasanpur Railway line	Shall be contingent upon permissions under Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) and Wetland (Conservation and Management) Rules 2010 and subject to mitigation, compensatory

		and regulatory measures imposed thereunder, however, the railway station shall be constructed outside the Eco-sensitive Zone boundary.
14.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
15.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
16.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
17.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
18.	Use of plastic bags.	Regulated under applicable laws.
19.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
20.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
21.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
22.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of reserve forests and protected forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
24.	Construction of ropeways.	Regulated under applicable laws.
25.	Erection of electrical cables, Transmission lines and telecommunication towers.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
26.	Setting up of security camps.	Regulated under applicable laws.
27.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads, rail tract, etc.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
28.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws (In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter and any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan).
29.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
30.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
31.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.

32.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
33.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted under.
34.	Collection of small fodder and other non timber forest produce.	Regulated under applicable laws.
35.	Migratory grazing.	Regulated under applicable laws.
36.	Fisheries.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
37.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
38.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
39.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
40.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
41.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
42.	Skill development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
45.	Water conservation measures.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions Eco-sensitive Zone comprising of the following, namely:-

(i) The Divisional Commissioner, Darbhanga Division - Chairperson;

(ii) A representative of the Department of Revenue, Government of Bihar - Member;

(iii) A representative of the Department of Water Resource, Government of Bihar - Member;

(iv) A representative of the Department of Animal and Fishery Resources, Government of Bihar - Member;

(v) A representative of the Department of Agriculture, Government of Bihar - Member;

(vi) A representative of the Department of Public Works (RCD), Government of Bihar - Member;

(vii) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Bihar for a period of up to three years at a time - Member;

(viii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Bihar for a period of up to three years at a time		Member;
(ix)	Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board		Member;
(x)	Member State Biodiversity Board		Member;
(xi)	Divisional Forest Officer, Mithila Forest Division, Darbhanga	-	Member-Secretary.

6. Terms of reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the monitoring committee shall be for three years from the date of publication of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Government as per proforma appended at **Annexure IV.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/202/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KUSHEWHWAT ASTHANA BIRD SANCTUARY, BIHAR

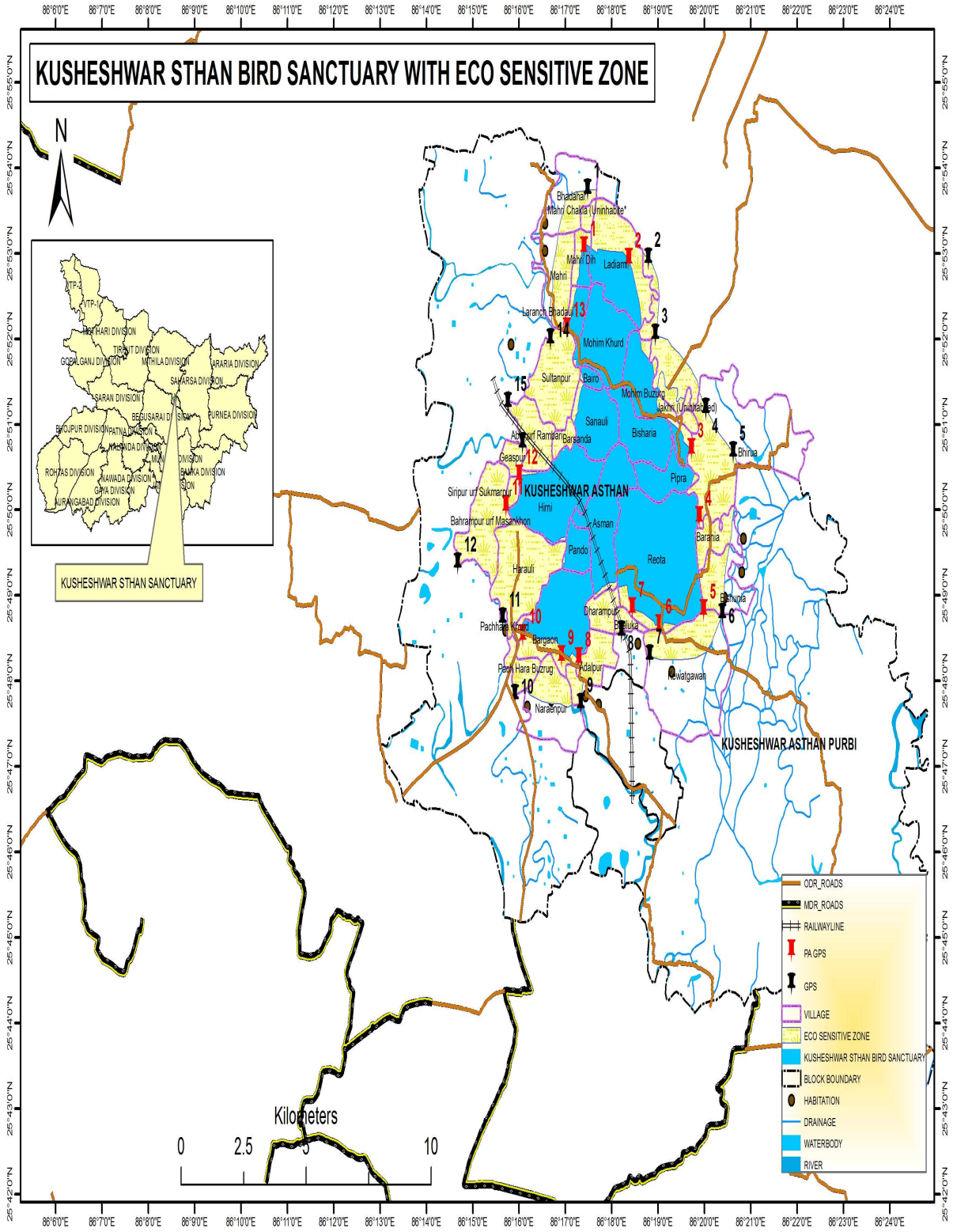

ANNEXURE-II-A

Boundary Description of Kusheshwar Asthan Bird Sanctuary, Darbhanga with Geo- Co-ordinates

Sr. No.	Longitude	Latitude
1	86.2618936009362	25.8337720990339
2	86.2676924046286	25.8395709027263
3	86.2877651866409	25.8482691082649
4	86.2835275993272	25.8696800757447
5	86.2908876193983	25.8848461777095
6	86.3051615977181	25.8828388995083
7	86.3105143395881	25.8647733956972
8	86.3172052669255	25.8565212519811
9	86.3290259052216	25.8453697064187
10	86.3272416579316	25.8364484699688
11	86.3317022761566	25.8322108826551
12	86.3337095543578	25.8132532551991
13	86.319435576038	25.8103538533529
14	86.3051615977181	25.8183829661578
15	86.296909454002	25.8165987188678
16	86.2911106503096	25.8139223479328
17	86.2882112484633	25.8038859569267
18	86.2790669811022	25.8085696060629
19	86.2679154355398	25.8090156678854
20	86.2837506302384	25.8273042026077

ANNEXURE-II-B

Boundary Description of Eco-sensitive Zone of of Kusheshwar Asthan Bird Sanctuary, Darbhanga with its Geo-Co-ordinates

Id in Map	Latitude	Longitude
0	$25^0$53’44.562”N	$86^0$17’28.750”E
1	$25^0$52’55.872”N	$86^0$18’47.131”E
2	$25^0$52’2.724”N	$86^0$18’56.243”E
3	$25^0$51’10.774”N	$86^0$20’1.649”E
4	$25^0$50’40.317”N	$86^0$20’37.178”E

5	$25^0$48’46.838”N	$86^0$20’22.909”E
6	$25^0$48’17.482”N	$86^0$18’49.147”E
7	$25^0$48’34.462”N	$86^0$18’12.366”E
8	$25^0$47’43.551”N	$86^0$17’19.739”E
9	$25^0$47’49.856”N	$86^0$15’54.447”E
10	$25^0$48’43.463”N	$86^0$15’38.910”E
11	$25^0$49’22.060”N	$86^0$14’40.587”E
12	$25^0$50’46.480”N	$86^0$16’4.467”E
13	$25^0$51’59.659”N	$86^0$16’40.474”E
14	$25^0$51’14.816”N	$86^0$15’45.405”E

ANNEXURE-III

List of the villages falling in Eco-sensitive Zone of Kusheshwar Asthan Bird Sanctuary, Darbhanga

Sr. No.	Village	Latitude	Longitude	Area in Ha.
1	Aber urf Rambari	25° 50' 52.413" N	86° 16' 18.832" E	161.54
2	Adalpur	25° 48' 16.473" N	86° 17' 40.786" E	116.20
3	Asman	25° 49' 4.853" N	86° 17' 53.272" E	10.30
4	Bahrampur urf Masankhon	25° 49' 52.535" N	86° 15' 17.214" E	283.79
5	Bairo	25° 51' 33.670" N	86° 17' 20.746" E	2.02
6	Barania	25° 49' 41.050" N	86° 20' 11.481" E	99.50
7	Bargaon	25° 48' 20.361" N	86° 16' 32.633" E	86.63
8	Barsanda	25° 50' 50.142" N	86° 16' 57.879" E	42.87
9	Bhadahar	25° 53' 30.061" N	86° 17' 12.542" E	71.13
10	Bhaluka	25° 48' 41.458" N	86° 18' 18.857" E	39.83
11	Bhatwan	25° 47' 57.678" N	86° 17' 11.830" E	34.35
12	Bhirua	25° 50' 28.781" N	86° 20' 9.446" E	300.81

13	Bishunia	25° 49' 10.497" N	86° 20' 12.142" E	105.77
14	Dharampur	25° 48' 49.263" N	86° 17' 49.308" E	85.81
15	Geaspur	25° 50' 37.028" N	86° 15' 52.627" E	52.53
16	Harauli	25° 49' 17.818" N	86° 16' 5.174" E	380.97
17	Hirni	25° 49' 37.556" N	86° 16' 40.037" E	9.54
18	Jakhri (Uninhabited)	25° 51' 15.981" N	86° 19' 37.792" E	11.29
19	Kewatgawan	25° 48' 29.868" N	86° 19' 33.085" E	187.59
20	Khesraha	25° 51' 16.883" N	86° 19' 11.504" E	60.75
21	Ladiami	25° 53' 2.926" N	86° 18' 13.882" E	219.09
22	Laranch Bhadaul	25° 52' 21.955" N	86° 17' 5.923" E	15.50
23	Mahri	25° 52' 42.158" N	86° 16' 55.908" E	130.40
24	Mahri Chakla (Uninhabite*	25° 53' 25.827" N	86° 17' 28.874" E	26.87
25	Mahri Dih	25° 53' 0.938" N	86° 17' 18.221" E	41.56
26	Manaur	25° 51' 38.137" N	86° 19' 19.953" E	135.89
27	Mohim Khurd	25° 51' 43.387" N	86° 17' 12.278" E	1.58
28	Naraenpur	25° 47' 57.540" N	86° 16' 41.289" E	106.61
29	Pach Hara Buzrug	25° 48' 8.893" N	86° 16' 2.659" E	78.89
30	Pachhara Khurd	25° 48' 38.357" N	86° 16' 3.063" E	19.51
31	Pando	25° 49' 26.521" N	86° 16' 58.199" E	1.52
32	Pipra	25° 50' 21.346" N	86° 19' 47.183" E	4.15
33	Reota	25° 48' 47.352" N	86° 18' 38.075" E	48.86
34	Sanauli	25° 51' 16.527" N	86° 17' 14.647" E	15.24
35	Siripur urf Sukmarpur	25° 50' 12.850" N	86° 15' 51.692" E	26.07
36	Sultanpur	25° 51' 31.381" N	86° 16' 46.900" E	278.45
				3293.40

Annexure-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise): Details may be attached as annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006: Details may be attached as separate annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006: Details may be attached as separate annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.26 16:38:06 +05'30'